न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 52/2020 – निगरानी

1. प्यारे लाल पुत्र रतना तेली निवासी तेलीखेडा तहसील व जिला भीलवाडा

बनाम

1. लादू लाल पिता देवा लाल गाडरी निवासी तेलीखेडा तहसील व जिला भीलवाडा
2. ग्राम पंचायत पालड़ी पंचायत समिति सुवाणा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पालडी पंचायत समिति सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994
विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत पालडी पं.सं. सुवाणा पत्रावली संख्या 8 दिनांक 10.04.2003

उपस्थित –

1. श्री पृथ्वीराज चौधरी अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री सुनील आगाल अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 27-1-2021

निगराकार की ओर से यह निगरानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत गैर निगराकारान के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैर निगराकार संख्या 02 ने गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में पत्रावली संख्या 08 दिनांक 10.04.2003 के चारभुजा मन्दिर के पास, तेलीखेडा मे एक जायदाद क्षैत्रफल 5555 वर्गफीट का पटटा जारी किया गया जो विधि एवं तथ्यों के विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य हैं। उक्त पटटा पुराने गृहों का विनियमितिकरण का पटटा जारी किया गया, जबकि मौके पर पुराने गृह नहीं होकर भूखण्ड के रूप में उक्त जायदाद उपयोग में आ रही हैं। पत्रावली पर संख्या भी अंकित नहीं हैं। गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में 5555 वर्गफीट भूमि का पटटा जारी किया गया, जबकि गैर निगराकार संख्या 02 को इतने क्षैत्रफल का पटटा जारी करने का कोई अधिकार नहीं हैं। गैर निगराकार संख्या 01 को खाली भूखण्ड का पटटा जारी किया गया, जो कि नियमानुसार प्रचलित डी.एल.सी. दर से रकम राजकोष में जमा करा, पटटा जारी करना चाहिए था, जो नही कर केवल मात्र राजकोष को हानि पंहुचाने की नियत से पुराने गृहों का विनियमितीकरण का पटटा जारी किया गया हैं जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य हैं। पटटा जारी करने में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 142 से 157 के प्रावधानों की पालना नही की गयी। गैर निगराकार संख्या 01 का मौके पर 5555 वर्गफीट भूमि पर कोई कब्जा नहीं हैं। गैर निगराकार संख्या 01 के भाई की जगह निगराकार द्वारा कय कर रखी हैं। पटटा जारी होने की दिनांक से उक्त निगरानी पेश करने में हुयी देरी के समय को कण्डौन किये जाने हेतु धारा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पेश किया हैं। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया पटटे को निरस्त किया जावे।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 29.03.2019 को दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। जिला कलक्टर महोदय के आदेश कमांक 6641 दिनांक 30.06.2020 से पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित करते हुये उभयपक्षकारान् को अपनी उपस्थिति न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 15.07.2020 को देने हेतु व्यक्तिशः अधिवक्ताओं को सूचित किया गया। निगरानी प्रकरण दिनांक 01.07.2020 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 09 के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि गैर निगराकार संख्या 02 ने गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में पत्रावली संख्या 08 दिनांक 10.04.2003 के चारभुजा मन्दिर के पास, तेलीखेडा मे एक जायदाद क्षैत्रफल 5555 वर्गफीट का पटटा जारी किया गया जो विधि एवं तथ्यों के विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य हैं। उक्त पटटा पुराने गृहों का विनियमितिकरण का पटटा जारी किया गया, जबकि मौके पर पुराने गृह नहीं होकर भूखण्ड के रूप में उक्त जायदाद उपयोग में आ रही हैं। पत्रावली पर संख्या भी अंकित नहीं हैं। गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में 5555 वर्गफीट भूमि का पटटा जारी किया गया, जबकि गैर निगराकार संख्या 02 को इतने क्षैत्रफल का पटटा जारी करने का कोई अधिकार नहीं हैं। गैर निगराकार संख्या 01 को खाली भूखण्ड का पटटा जारी किया गया, जो कि नियमानुसार प्रचलित डी. एल.सी. दर से रकम राजकोष में जमा करा, पटटा जारी करना चाहिए था, जो नही कर केवल मात्र राजकोष को हानि पंहुचाने की नियत से पुराने गृहों का विनियमितीकरण का पटटा जारी किया गया हैं जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य हैं। पटटा जारी करने में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 142 से 157 के प्रावधानों की पालना नही की गयी। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया पटटे को निरस्त किया जावे।

गैर निगराकार सं. 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि गैर निगराकार संख्या 01 को पुराने गृहों का विनियमितिकरण का पटटा विधि अनुसार जारी किया गया हैं। पत्रावली संख्या 08 में मौका निरीक्षण पत्र में स्पष्ट अंकन किया है कि प्रार्थी लादू लाल का पुश्तैनी मकान है एवं विरासत से मिला हैं। इसी आधार पर गैर निगराकार संख्या 01 को उक्त आबादी भूमि का पटटा पत्रावली संधारित कर नियमानुसार जारी किया गया हैं। पटटा जारी किये जाने में ग्राम पंचायत द्वारा कोई अनियमितता नही बरती गयी हैं। विधिनुकुल पटटा जारी किया गया हैं। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी खारिज की जाये।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिस अनुसार पाया कि गैर निगराकार संख्या 01 के द्वारा ग्राम पंचायत पालडी को आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 03.03.2004 को 5555 वर्गफीट का पुश्तैनीगृह राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

157(ख) के तहत रूपये 200/– शुल्क लिया जाकर कोरम के प्रस्ताव द्वारा सर्वसम्मति से पटटा जारी किये जाने की स्वीकृति दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आपत्तियां मांगने का सूचना पत्र, आबादी भूमि संबंधी मौका निरीक्षण पत्र, नियम 146 के तहत तीन वार्ड पंचों की कमेटी का मौका निरीक्षण पत्र संलग्न हैं।

157 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 इस प्रकार हैं – (दिनांक 10.04.2003 को प्रभावशील)

पुराने गृहों का विनियमतीकरण –

1. **जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पटटा जारी किये जाने के इच्छुक हैं वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारूप 23–क में पंचायत द्वारा पटटा जारी किया जा सकेगा ।**

(क) **50 वर्ष से अधिक पूर्व से निर्मित मकानों हेतु 100/–रूपये**

(ख) **इन नियमों के लागू होने की तिथि को 50 वर्षों के दौरान बने पुराने मकानों हेतु 200/–रूपये**

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को सूची में सम्मिलित परिवार के लिये खण्ड (क) के अन्तर्गत कोई राशि देय नही होगी तथा खण्ड (ख) के अन्तर्गत कुल देय राशि का 10 प्रतिशत देय होगा।

2. **ऐसे परिवार, जिनका कोई मकान नही हो या किसी भी स्थान पर मकान स्थल नहीं हो, और वर्ष 2003 तक झोपडी/कच्चा मकान का निर्माण करते हुए आबादी भूमि के कब्जे में हो 300 यार्ड तक अधिकतम कब्जा निःशुल्क विनियमितीकरण के लिए हकदार होगें।**

पंचायती राज सामान्य नियम 157 क व ख में ग्राम पंचायत को अपनी आबादी भूमि में निर्मित पुश्तैनी मकानों का पट्टा जारी करने का अधिकार प्रदत्त है। नियम 157 क के अंतर्गत 50 वर्षों से अधिक पुराने निर्मित मकान के लिये 100रू. व नियम 157 ख में 50 वर्षों के दौरान निर्मित मकान के लिये 200 रू. पट्टा फीस निर्धारित होकर पट्टा जारी करने की नियमों में व्यवस्था दी गयी है ।

निगराकार ने अपनी निगरानी में अंकित किया हैं कि उक्त पटटा पुराने गृहों का विनियमितिकरण का पटटा जारी किया गया, जबकि मौके पर पुराने गृह नहीं होकर भूखण्ड के रूप में उक्त जायदाद उपयोग में आ रही हैं। पत्रावली पर संख्या भी अंकित नहीं हैं। गैर निगराकार संख्या 01 का मौके पर 5555 वर्गफीट भूमि पर कोई कब्जा नहीं हैं। गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में 5555 वर्गफीट भूमि का पटटा जारी किया गया, जबकि गैर निगराकार संख्या 02 को इतने क्षैत्रफल का पटटा जारी करने का कोई अधिकार नहीं हैं। गैर निगराकार संख्या 01 को खाली भूखण्ड का पटटा जारी किया गया, जो कि नियमानुसार प्रचलित डी.एल.सी. दर से रकम राजकोष में जमा करा, पटटा जारी करना चाहिए था, जो नही कर केवल मात्र राजकोष को हानि पंहुचाने की नियत से पुराने गृहों का विनियमितीकरण का पटटा जारी किया गया हैं जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य हैं।

जबकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

परीक्षण अनुसार गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में ग्राम पंचायत पालडी में पत्रावली की दायर संख्या 8 दिनांक 10.04.2003 से कायम होकर कोरम द्वारा बाद जांच दिनांक 20.02.2004 को पटटा जारी करने का निर्णय पारित किया गया। इसी प्रकार पत्रावली संख्या 08/2003 के साथ संलग्न मौका निरीक्षण पत्र में तीन वार्ड पंचों की कमेटी का गैर निगराकार संख्या 01 का पुश्तैनी मकान होना अंकित किया हैं। निगराकार ने गैर निगराकार संख्या 01 के उक्त पटटे पर कब्जा नहीं होने के संबंध में कोई ठोस प्रमाण व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। ग्राम पंचायत ने गैर निगराकार संख्या 01 को उक्त पटटा पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (ख) के अंतर्गत दिनांक 10.04.2003 को जारी किया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत ग्राम पंचायत पालड़ी के आदेश दिनांक 20.02.2004 के विरूद्व निगराकार द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के विरूद्व ठोस एवं प्रमाणिक दस्तावेज व साक्ष्य प्रस्तुत नही किये जाने से निगरानी अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ ग्राम पंचायत पालडी को पालनार्थ लौटाया जावे। आदेश की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति सुवाणा को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 27-1-21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)